उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस (बीएमएलएस) प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के नियम, मानक एवं प्रक्रिया

विवरणिका



स्थापित - 1926 (उ०प्र० सरकार द्वारा स्थापित)

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ दादा मियां की मजार के पास

<u>फान : 0522–2238846, 3302100 फैक्स : 0522–2236600</u> <u>ई–मेल : inspection@upsmfac.org</u> <u>वेबसाइट : www.upsmfac.org</u>

बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस (बीएमएलएस)

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में लैबोरेटरी टेक्नीशियन का महत्व जितना स्वीकारा गया है उतना महत्व सम्भवतः किसो अन्य पैरामेडिकल क्षेत्र को नहीं मिला है। जटिल रोगों की डाइग्नोसिस एवं मानीटरिंग, रोड साइड एक्सीडेन्ट्स, न्यूरोलाजिकल डिसआर्डर, पोस्ट आपरेटिव काम्पलीकेशनों आदि के फलस्वरूप मरीजों की पूर्ण रिकवरी बिना सही पैथोलाजिकल जांचों के सम्भव नहीं होती है। मरीजो की बीमारी का इलाज तो आधुनिकीकरण के कारण कम समय में होना सम्भव हो गया है, पर पैथालोजी एक ऐसी विधा है जो प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही की जा सकती है।

बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस (बीएमएलएस) 3.6 वर्ष का है। जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को इस विषय से संबंधित विशेष व मानव शरीर से संबंधित सभी विषयों में प्रायोगिक (Practical) समस्त ज्ञान उपलब्ध कराया जायेगा। इन छात्रों से अपेक्षित होगा कि वे 3.6 वर्ष के अन्त तक इतना ज्ञानार्जन कर लें कि किसी भी तरह कि बीमारी से उत्पन्न शारीरिक विकृतियों से उत्पन्न कमियों को ठीक करने में सक्रिय योगदान कर सकें। इन्हें आधुनिकतम उपलब्ध मशीनो की भी जानकारी प्रदान कराई जायेगी। जिसमे कि वे अपने ज्ञान अनुभव व मशीनो के सहयोग से मरीजों को लाभ पहुँचायेंगे।

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम से सम्बन्धित नीति-

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन का दायित्व उ०प्र० शासन द्वारा उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी को सौंपा गया है।

उ०प्र० शासन के आदेशों एवं उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी की शासी समिति के निर्णयों के आधार पर स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों को खोलने हेतु निम्नलिखित नीति निर्धारित की गयी है। आवश्यकता पड़ने पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

- सभी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम चार वर्ष की अवधि तक के हो सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों का वास्तविक नामकरण तथा अवधि का निर्धारण यू.जी.सी एवं संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जायेगा। लिखित एवं पायोगिक विषयों में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष में एक बार अगस्त में परीक्षा सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है। अन्तिम परीक्षा पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने पर ली जाना प्रस्तावित है।
- पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रशिक्षुओं का रजिस्ट्रेशन उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा किया जायेगा।
- 3. प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थी को 6 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण इन्टर्नशिप प्राप्त करना होगा, इन्टर्नशिप अपने प्रशिक्षण केन्द्र अथवा अन्य मान्यता प्राप्त केन्द्र में किया जा सकता है। जिसके उपरान्त वह किसी चिकित्सक के निर्देशन में अपने विषय से संबंधित कार्य करने हेतु सक्षम होगा।
- 4. नर्सिंग एवं फार्मेसी के डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये 'इण्डियन नर्सिंग कौंसिल' एवं 'फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया', नई दिल्ली के मानक एवं अन्य नीति/नियम प्रभावी होगें। इन दोनो विषयों से संबंधित अग्रिम कार्यवाही उ0प्र0 शासन के अनापत्ति निर्गत करने के बाद इन केन्द्रीय कौंसिलों द्वारा की जायेगी। आधारभूत सुविधाए मंत्री परिषद् के निर्णयानुसार होगी।
- 5. शेष दस पाठ्यक्रमों के लिये समस्त कार्यवाही के लिये उ०प्र० शासन द्वारा उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी को अधिकृत किया गया है। उ०प्र० स्टेट मडिकल फैकल्टी की शासी समिति समय—समय पर तत्संबंधी निर्णय लेगी।
- 6. पाठ्यक्रम चलाने हेतु आवेदक संस्था को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इण्डियन ट्रस्ट एक्ट अथवा कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए अथवा पूर्व से निजी क्षेत्र में संचालित मेडिकल/डेन्टल/नर्सिंग होम/अस्पताल जिसे राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त हो। उनकी आर्थिक स्थति सुदृढ़ हो जिससे कि पाठ्यक्रम चलाने हेतु सक्षम हो।
 - संस्था के पास स्वयं की भूमि हो, जो कि न्यूनतम नगरीय क्षेत्र में एक एकड़ अथवा 4000 वर्ग मीटर अथवा 43040 वर्ग फुट हो
 - 2. ग्रामीण क्षेत्र में दो एकड़ अथवा 8000 वर्ग मीटर अथवा 86080 वर्ग फुट हो
 - 3. आवेदक के नाम पर हो।

- इसी भूमि पर आगे दिये गये मानकों के अनुसार भवन एवं पाठ्यक्रम से संबंधित सभी सुविधायें उपलब्ध हो।
- 8. एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाने हेतु इतनी ही भूमि की आवश्यकता होगी किन्तु प्रशिक्षण भवन कुल निर्मित क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर (प्रत्येक अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु 200 वर्ग मीटर का अतिरिक्त भवन हो). नर्सिंग व फार्मेसी के मानक संबंधित काउंसिल के होंगे। आवश्यक सुविधायें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।
- 9. संस्थान के पास छात्रों को क्लीनिकल प्रशिक्षण देने हेतु स्वयं के स्वामित्व एवं प्रबन्धन का न्यूनतम 100 बेड का बहुविशेषज्ञता का अस्पताल होना आवश्यक है। कुछ विषयों में इनडोर मरीजों के भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती किन्तु उन विषयों में छात्रों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मरीजों से संबंधित अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होगी। जैसे कि पैथालोजी एवं रेडियोलोजी में मरीजों पर की जाने वाली जाँचें।
- 10. संस्था पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु संबंधित विषय में स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षक / प्रशिक्षक उपलब्ध करायेगी।
- 11. सीटों की संख्या सामान्यतः एक पूर्ण रूप से सुसज्जित व मानकों को पूर्ण करने वाले केन्द्र को
 40 छात्र प्रतिवर्ष क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है। फिर भी आवेदक यदि इससे कम के लिये आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं।

अलग-अलग स्तरो पर लिया जाने वाला शुल्क (नान रिफन्डेबल)

कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। उचित होगा कि मानकों का अध्ययन भली—भांति कर लें और यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें कि आपके पास मानकों के अनुसार सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं।

₹ 2,50,000 / — (18% GST के साथ) आवेदन—पत्र / रजिस्ट्रेशन / निरीक्षण शुल्क आन—लाईन www.upsmfac.org पर आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा ।

समस्त शुल्क कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर आन लाईन जमा किया जा सकता है।

राजकीय कोषागार (ट्रेजरी) में रु. 25000 / – जमा करने का हेड :

राजकीय कोषागार में हेड संख्या 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 800 अन्य प्राप्तियाँ

आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले संलग्नक -

<u> फोटोग्राफः</u>

- टीचिंग ब्लाक के सामने का, भवन के पीछे का, कक्षाओं की आन्तरिक, प्रधानाचार्य कक्ष, लाइब्रेरी, रिशेप्शन, प्रयोगशालाओं इत्यादि के फोटोग्राफ।
- अस्पताल के सामने का, पीछे का एवं आन्तरिक विभागों का, उपकरण/उपस्कर इत्यादि को दिखाते हुये फोटोग्राफ।
- सम्बन्धित प्रशिक्षण की विशेषज्ञता की उपलब्ध सुविधाओं को दिखलाते हुये अस्पताल के आन्तरिक फोटोग्राफ।

<u>दस्तावेजः</u>

संस्था (सोसायटी / ट्रस्ट / कम्पनी) का अद्यतन रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।

- 5. संस्था के बाइलाज / मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएसन
- प्रश्नगत पाठ्यक्रम का केन्द्र खोलने हेतु सोसा0/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा पारित रिजोल्यूशन/प्रस्ताव की प्रति।
- 7. संस्था की बैलेन्सशीट (पिछले 2 वर्षो की)
- 8. प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि (टीचिंग ब्लाक) एवं चिकित्सालय की भूमि के मालिकाना हक का प्रमाण–पत्र/प्रपत्र (संस्था का ही हो) जो राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्राधिकरण (तहसीलदार) से कम न हो से प्रमाणित प्रति/खतौनी की मूल प्रति अथवा उपनिबन्धक द्वारा सत्यापित विलेख की प्रति, यदि संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो और भूमि कृषि योग्य हो तो निबन्धन धारा 143 के अर्न्तगत भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- 9. टीचिंग ब्लाक एवं चिकित्सालय का प्रमाणित मानचित्र (ब्लू प्रिन्ट)।
- 10. चिकित्सालय का ऑनलाईन पद्धति वाला पंजीयन प्रमाण–पत्र जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
- 11. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड (पी0सी0बी0) का प्रमाण–पत्र जिसमें बेड संख्या एवं वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
- 12. अग्नि शमन प्रमाण–पत्र (टीचिंग ब्लाक एवं चिकित्सालय) दोनों का ऑनलाईन पद्धति वाला स्थायी (पूर्णता कम्पलीशन) जिसमें वैधता तिथि अवश्य अंकित हो।
- 13. डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु संस्था द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ का सहमति—पत्र (Letter of Intent) प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 14. शपथ पत्र/वचन पत्र को रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर संलग्न करना आवश्यक है।

शपथ–पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

आवेदन पत्र के साथ रूपये 100 / –के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र (आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

सचिव.

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी,

लखनऊ।

- मैं शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि मेरी संस्था (संस्था का नाम)के द्वाराके द्वारा(कोर्स का नाम)......डिग्री पैरामेडिकल क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण उ०प्र० सरकार की अनुमति के बिना नहीं चलाया जा रहा है।
- मै बचन देता हूँ/देती हूँ कि भविष्य में भी उ०प्र० सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा पैरामेडिकल/नर्सिंग के पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यक्रम कोई प्रशिक्षण नहीं चलाऊँगा/चलाऊँगी।
- 3. यह कि प्रशिक्षण केन्द्र व उससे संबंधित अस्पताल, भूमि का मालिकाना हक मेरी संस्था का ही
- है। उक्त भूमि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्राधिकरण की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं है और न ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।

- 4. यह कि उक्त प्रशिक्षण से संबंधित मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय/ सक्षम न्यायालय अथवा न्यायिक अभिकरण में किसी भी प्रकार का दीवानी/ फौजदारी वाद विचाराधीन/ लम्बित नहीं है और ना ही किसी प्रकार का स्थगन आदेश ही प्राप्त हुआ है।
- 5. संस्था के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मे है0 भूमि है, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 89 में उल्लिखित सीमा 5.0586 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है। (और यदि है तो धारा 89 (3) के अर्न्तगत राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुमति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न कर)।
- 6. मैं राज्य सरकार व उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों व निर्णयों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि संस्था द्वारा किसी भी दिशा–निर्देशों/मानकों का उल्लंघन किया जाता है/आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख/प्रपत्र फर्जी पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाये।

दिनॉक :--

सक्षम प्राधिकारी संस्था का नाम ⁄पता

निरीक्षण –

प्रथम निरीक्षण : संस्था के द्वारा आवेदन करने के उपरान्त उ०प्र० शासन द्वारा नामित समिति से संस्था एवं उपलब्ध सुविधाओं का प्रथम निरीक्षण कराया जायेगा। इस निरीक्षण में मुख्यतः विशेष ध्यान दिया जायेगा कि पाठ्यक्रम चलाने हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं कि नहीं। पाठ्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षक / शिक्षक अथवा उपकरण द्वितीय निरीक्षण तक भी उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्रथम निरीक्षण के समय निरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा :–

- 1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये तथ्यों का भौतिक सत्यापन।
- संस्था के पास उपलब्ध भूमि एवं भवन का भौतिक सत्यापन एवं उनके स्वामित्व के विषय में दस्तावेजी सबूतों का निरीक्षण।
- 3. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ लगाये गये फोटोग्राफों के अनुसार सत्यापन।
- संस्था के द्वारा प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कराये गये भवन एवं उपलब्ध संसाधनो का निरीक्षण।
- संस्था के द्वारा ही संचालित अस्पताल की क्लीनिकल सुविधाओं का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन।
- उपरोक्त के अलावा समिति द्वारा वांछित अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

<u>द</u>ितीय निरीक्षण</u> : द्वितीय निरीक्षण शासन द्वारा अनापत्ति प्रदान करने के उपरान्त किया जायेगा, शासन से अनिवार्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् फैकल्टी के द्वारा संबंधित संस्थाओं को प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। तत्पश्चात संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रमों से संबंधित काउंसिलों में पाठ्यक्रम खोलने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। अनिवार्यता प्रमाण–पत्र के आधार पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही परीक्षा लेने व डिग्री प्राप्त करने हेतु सम्बद्धता लेना आवश्यक है। सम्बद्धता मिलने के उपरान्त ही द्वितीय निरीक्षण कराया जायेगा। उसमें संस्था द्वारा पाठ्यक्रमों से संबंधित काउंसिलों में पाठ्यक्रम प्राप्त विश्वविद्यालय से ही परीक्षा लेने व डिग्री प्राप्त करने हेतु सम्बद्धता लेना आवश्यक है। सम्बद्धता मिलने के उपरान्त ही द्वितीय निरीक्षण कराया जायेगा। उसमें संस्था द्वारा पाठ्यक्रमों से संबंधित मानक के अनुसार निर्धारित समस्त सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा इस स्तर पर यदि सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं तो संस्था का निरीक्षण पुनः कराया जा सकता है। किसी भी अतिरिक्त निरीक्षण हेतु शुल्क नहीं होगा।

पाठ्यक्रम (Syllabus) -

समस्त बैचलर पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम, संबंधित काउंसिलों (नर्सिंग, फार्मेसी) एवं विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। समस्त केन्द्र इन्हीं पाठ्यक्रमों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

<u>पाठ्यक्रम खोलने की प्रक्रिया—</u>

- उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट www.upsmfac.org पर आन-लाईन फार्म उपलब्ध है। आवेदन पत्र को भरने के निर्देश एवं प्रत्येक पाठ्यक्रम से संबंधित मानक भी कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कृपया निर्देशो एवं मानकों का अध्ययन विस्तार से कर ल। ये न्यूनतम मानक हैं, इनकी उपलब्धता अनिवार्य है।
- आन–लाईन भरा हुआ आवेदन पत्र सभी संलग्नकों सहित प्राप्त हो जाने चाहिए। आवेदन पत्र पूर्ण से भरे हुए होने चाहिए एवं उसमें विर्निदिष्ट सभी दस्तावेज एवं फोटो भी लगे होने चाहिए।

(i) राजकीय कोषागार में हेड संख्या **0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 800 अन्य प्रप्तियाँ** में रू0 25000 / – (पच्चीस हजार रूपये मात्र) जमा कर रसीद की फोटो प्रति फैकल्टी में आवेदन–पत्र के साथ जमा करें।

- विशेषः संस्थाओं को स्टेट मेडिकल फैकल्टी में प्रति प्रशिक्षण रू0 2,50,000 / (18% GST के साथ) जमा करना है। इस राशि का 10 प्रतिशत अर्थात रू. 25,000 / – (पच्चीस हजार रूपये मात्र) राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना है।
- 4. आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त शासन द्वारा नामित समिति द्वारा निरीक्षण होने के उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी जिस पर माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी द्वारा विचारोपरान्त संस्तुतियो पर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, तत्पश्चात् शासन द्वारा अनापत्ति (अनिवार्यता प्रमाण–पत्र) जारी की जायेगी। इस अनापत्ति के साथ उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संस्था को सूचित किया जायेगा।
- 5. शासन की अनापत्ति एवं उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सूचना प्राप्त होन के बाद संस्थाओं से अपेक्षित है कि मानकों के अनुसार व्यवस्था कर नर्सिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों से संबंधित केन्द्रीय कौंसिलों (1) इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, फार्मेसी, (2) फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, संयुक्त काउंसिल बिल्डिंग, एवान–ए–गालिब मार्ग, कोटला रोड, टेम्पल लेन, माता सुन्दरी कालेज के सामने, नई दिल्ली तथा में आवेदन करें।
- 6. अन्य पाठ्यक्रमों हेतु उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आवेदन के समय इंगित मानकों के अनुसार सुविधायें उपलब्ध कराने के उपरान्त शासनादेश प्राप्त होने के पश्चात् लेटर ऑफ कन्सेन्ट के लिए आवेदन कर। सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा शासी समिति के अनुमोदनोपरान्त गठित समितियों से आपकी संस्था का पुनः निरीक्षण कराया जायेगा एवं निरीक्षण संबंधी आख्या को शासी समिति में रखकर संस्तुतिओं को उ0प्र0 शासन को पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्राप्त करने हतु भेजा जायेगा। निरीक्षणों में यदि कोई कमी पायी जायेगी तो उसे संस्था को इंगित किया जायेगा एवं अग्रिम कार्यवाही तात्कालिक रूप से रोक दी जायेगी। संस्थाओं द्वारा कमियों की पूर्ति होने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त पुनः निरीक्षण कराया जायेगा एवं लायेगी। संस्थाओं द्वारा कमियों की पूर्वि होने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त पुनः निरीक्षण कराया जायेगा
- 7. पाठ्यक्रम खोलने संबंधी समस्त जानकारियाँ एवं समस्याओं का निराकरण करने हेतु सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी से व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके दूरभाष नं0 0522–2238846 / 2235965 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
- उपरोक्त प्रक्रिया उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित है, इसमें उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल द्वारा संचालित डिग्री प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रारम्भ करने हेतु प्रक्रियायें–

आवेदन करने के पूर्व आन–लाईन प्रास्पेक्टस का अध्ययन करें।

आवेदन पत्र आन—लाईन www.upsmfac.org पर उपलब्ध है। पंजीकरण एवं निरीक्षण शुल्क ₹ 2,50,000 / –(18% GST के साथ) (₹ 2,50,000 / – (18% GST के साथ) का शुल्क आन लाईन आवेदन पत्र भरने के समय देय होगा)

साथ ही राजकीय कोषागार में रू.25,000 / – (हेड संख्या 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 800 अन्य प्राप्तियाँ में जमा कर रसीद की प्रति के साथ आवेदन पत्र जमा करेगी।

आवेदन–पत्र की जाँचोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर शासन द्वारा नामित समिति से निरीक्षण (प्रथम)

निरीक्षण आख्या शासी समिति के सम्मुख विचारार्थ

शासी समिति से अनुमोदित आख्याओं को सचिव, चिकित्सा शिक्षा को अग्रसारित

उ०प्र० शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मा० मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा अध्यक्षता की इम्पावर्ड समिति के अनुमोदनोपरान्त अनिवार्यता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना।

संस्थाओं को अनिवार्यता प्रमाण–पत्र के आधार पर लेटर आफ कन्सेन्ट फैकल्टी द्वारा जारी करना।

क्षेत्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त करें।

संस्था लेटर आफ कन्सेन्ट के साथ संबंधित कौंसिलों में आवेदन करेगी। इसी के साथ संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता (Affiliation Letter) भी जमा करें।

उ०प्रo स्टेट मेडिकल फैकल्टी शासी समिति द्वारा नियुक्त समिति द्वारा द्वितीय निरीक्षण उपयुक्त पाये जाने पर शासन को अनुमति हेतु संदर्भन।

स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रू0 30,000 / – प्रति सत्र प्रतिवर्ष निरन्तरता शुल्क प्रति पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष जमा करना होगा।

समस्त शुल्क नान रिफन्डेबल हैं।

विशेष :नर्सिंग व फार्मेसी को छोड़कर अन्य प्रशिक्षण खोलने की स्थिति में भवन की व्यवस्था प्रत्येक अतिरिक्त प्रशिक्षण खोलने के लिये अतिरिक्त रूप से 200 वर्गमीटर भवन की व्यवस्था करनी होगी।

पैरामेडिकल क्षेत्र में डिग्री कोर्सेज खोलने हेतु सामान्य मानक

(विशिष्ट आवश्यकतायें / मानक प्रत्येक विषय में लिये अलग से दिये जा रहे हैं)

विशेष :(नर्सिंग एवं फार्मेसी के डिग्री पाठ्क्रमों के मानक इण्डियन नर्सिंग काउंसिल व फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा प्रख्यापित मानकों से कार्यवाही की जायेगी। शेष के लिये उ०प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा शासनादेश संख्या 4447 / 71–3–05 / 141 / 96 / 05 दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी)

अर्ह आवेदक :--

विधि मान्य संस्था/सोसाइटी/एन.जी.ओ./ट्रस्ट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। समस्त परिसम्पत्तियां सम्बन्धित संस्था/एन.जी.ओ./सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम होनी चाहिये।

बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीक्स (पैथालाजी) केन्द्र केवल उन्हीं केन्द्रों को दी जायेगी जिसमे पैथालोजी विभाग पूर्ण रूपेण सुसज्जित व कार्यरत हो।

- पाठ्यक्रम से संबंधित सामान्य लैबोरेंटरी जिसमें माइक्रोस्कोपिक जाँचे की जा सकती हों।
- 2. माइक्रोबायलोजी लैब कक्ष
- 3. बायोकेमेस्ट्री लैब कक्ष
- 4. हिस्टोपैथालोजी लैब कक्ष
- 5. आटो एनालाइजर कक्ष
- केमिकल बायोकेमेस्ट्री कक्ष

इन कक्षों से लगा हुआ एक कक्ष छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु एवं शैक्षिक वार्तालाप के लिये उपलब्ध हो। यह समस्त सुविधायें पैथालोजी से संबंधित सभी प्रशिक्षण केन्द्र / अस्पताल में उपलब्ध हो, इसके साथ ही एक छोटा म्यूजियम पैथालाजी से संबंधित भी होना आवश्यक है। पैथालोजी विभाग में एक माह में कम से कम सभी जाँचों को मिलाकर 2000 जाँचे होनी आवश्यक हैं। छात्रो को पढ़ाने के लिये एक वरिष्ठ विशेषज्ञ हो जिसकी योग्यता एम0डी0 स्तर की हो एवं 2 कनिष्ठ विशेषज्ञ हों जिसकी योग्यता डिप्लोमा पैथालोजी में योग्यता।

प्रशिक्षण केन्द्र का स्टेटस :--

शासकीय / शासकीय सहायता प्राप्त / एन.जी.ओ.

जैसा कि पूर्व में निर्दिष्ट किया जा चुका है कि संस्था की वैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है जैसे कि संस्था/सोसाइटी का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा इण्डियन ट्रस्ट एक्ट में पंजीकृत होना चाहिए। व्यक्ति अथवा गैर पंजीकृत संस्थाओं के आवेदन पत्र पर विचार करना सम्भव नही होगा। यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि अस्पताल एवं प्रशिक्षण केन्द्र दोनों ही एक ही संस्था के अन्तर्गत स्वामित्व एवं प्रबन्धन में होना अनिवार्य है। इस संबंध में दस्तावेज सहित मेमोरेन्डम आफ आर्टिकिल एवं ट्रस्टडीड की फोटो प्रतियाँ उपलब्ध करायें। इस बात का भी साक्ष्य दें कि प्रशिक्षण केन्द एवं अस्पताल आवेदक संस्था के नाम से ही रहे। शासकीय चिकित्सालयों पर यह नियम लागू नहीं होगा। <u>मानक —</u> भौतिक सुविधायें :—

भूमि भवन		अस्पताल
 नगरीय क्षेत्र में एक एकड़ अथवा 4000 वर्ग मीटर अथवा 43040 वर्ग फुट ग्रामीण क्षेत्र में दो एकड 	प्रशिक्षण भवन कुल निर्मित क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर / 10760 वर्गफिट (प्रत्येक अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु 200 वर्ग	100 बिस्तरों का अस्पताल
अथवा 8000 वग मीटर अथवा 86080 वर्ग फुट – आवेदक के नाम पर हो। – इसी भूमि पर प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित हो।	मीटर ⁄ 2152 वर्गफिट का अतिरिक्त भवन हो)। नर्सिंग व फार्मेसी के मानक संबंधित काउंसिल के होंगे।	

भवन – प्रशिक्षण केन्द्र :

क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र
प्रशिक्षण भवन कुल निर्मित क्षेत्र	10760 वर्ग फुट
(प्रत्येक अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु 2000 वर्गफुट का अतिरिक्त भवन हो)	
प्रशासनिक क्षेत्र	1500 वर्ग फुट
(i) प्राचार्य कक्ष (सुसज्जित)	300 वर्ग फुट
(ii) मुख्य कार्यालय (लिपिक आदि हेतु)	300 वर्ग फुट
(iii) रिसेप्शन कक्ष (आगन्तुकों के लिए बैठने का स्थान सहित)	200 वर्ग फुट
(iv) जन सुविधायें	200 वर्ग फुट
(v) अन्य	500 वर्ग फुट
पठन–पाठन क्षेत्र	4000 वर्ग फुट
(i) कक्षा (4 कक्ष)	4 x 600 वर्ग फुट
(ii) डिमान्सट्रेशन कक्ष	2 x 300 वर्ग फुट
(iii) प्रयोगशालाएं	2 x 500 वर्ग फुट
लाइब्रेरी –20 (छात्रों के बैठने की सुविधा सहित)	600 वर्ग फुट
कम्प्यूटर कम अडियो–वीडियो, इन्टरनट, फोटोकापियर के साथ	300 वर्ग फुट
व्याख्यान कक्ष	300 वर्ग फुट
कामन रूम (महिला)	200 वर्ग फुट
कामन रूम (पुरूष)	200 वर्ग फुट
जनसुविधायें (महिला/पुरूष) अलग अलग	200 वर्ग फुट
भंडार कक्ष / गोपनीय कक्ष	200 वर्ग फुट
अडिटोरियम / मल्टीपरपज हाल	2000 वर्ग फुट
म्यूजियम	500 वर्ग फुट
विद्युत व्यवस्था – विद्युत कनेक्शन	20 के. वी. ए
जनरेटर	10 के. वी. ए
पेयजल / वाटर कूलर	2

टेलीफोन (पी.सी.ओ.)		
वाहन स्टैण्ड		
कैन्टीन / कैफेटेरिया –	स्वयं को या Sublet हो।	

<u>लाइब्रेरी</u>

पुस्तकें

- 1- विषय विशेष की पुस्तकें 4 सेट में हो।
- 2- अन्य सम्बन्धित पुस्तकें 2 सेट में हो।
- 3– जर्नल, न्यूजपेपर आदि पर्याप्त संख्या में हो।

वित्तीय संसाधन –

वित्तीय स्थिति	वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ हो कि संस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू
	रूप से चला सके।
डिपाजिट	रू. 20 (बीस) लाख संस्था के नाम हो।
बैलेन्स शीट	दो वर्ष की संलग्न करें। आय का रिटर्न्स भी दें।
बैंक एकाउंटस	दो वर्ष का स्टेटमेन्ट दें।
स्थायी परिसम्पत्तियों	परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य लिखें।
का मूल्य	
अस्थायी परिसम्पत्तियों	परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य लिखें।
का मूल्य	

कैम्पस –अस्पताल एवं प्रशिक्षण केन्द्र एक ही कैम्पस में हो तो बेहतर है। यदि
अलग–अलग हो तो एक ही मालियत में हो और उनके बीच की दूरी
5 कि.मी. से अधिक न हो।आस–पास का विकास –सेन्टर के आस–पास का वातावरण ग्रहणीय हो, बहुत शोर–गुल न
हो। वातावरण/पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।खेल मैदान/जिम्नेजियम –अनिवार्य नहीं है, हो तो उचित होगा।आवागमन–सार्वजनिक यातायात/आवागमन के समुचित साधन हो।हास्टल –पैरामेडिकल प्रशिक्षण में हास्टल अनिवार्य नहीं है। यदि उपलब्ध
कराया जाता है तो छात्र हित में होगा। लेकिन नर्सिंग के लिये
अनिवार्य है।

<u>फैकल्टी</u> — सामान्य रूप से दिये जा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग कौंसिल व AICTE तथा विश्वविद्यालयों के मानक अंतिम होंगे।

टीचिंग फैकल्टी – 40 छात्रों की भर्ती क्षमता तक के लिये।

क्र.सं.	फैकल्टी	योग्यता	संख्या
1.	प्राचार्य	एम.बी.बी.एस.या एम.एस. / एम.डी.चिकित्सक	1
2.	वरिष्ठ शिक्षक	एम.एस. / एम.डी. / एम.बी.बी.एस. या मान्यता प्राप्त इस विषय में पी0जी0	1
3.	डिमान्स्ट्रेटर	पैरामेडिकल डिग्री धारक	2
		कुल	4

फैकल्टी–

प्रशासनिक

क्र.सं.	फैकल्टी	संख्या
1.	क्लर्क कम अकाउंटेन्ट	1
2.	कम्प्यूटर आपरेटर	1
3.	लाइब्रेरियन / स्टोर इंचार्ज	1
4.	चतुर्थ श्रेणी	2
5.	सफाई कर्मचारी	2
	कुल	7

पठन–पाठन सामग्री –

सिलेबस के अनुसार सभी विषयों से संबंधित चार्ट अथवा फाइबर के माडल, आडियोविडियो प्रर्दशन की व्यवस्था एवं सी0डी0 आदि की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराये जाये। एनाटमी जैसे विषय आडियो—वीडियो तकनीक से ही पढ़ाये जायेंगे।

<u>अस्पताल के भवन से संबंधित विवरण :—</u> प्रशिक्षण केन्द्र से दूरी — 5 कि.मी. के अन्दर हो। भवन के अन्दर निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं हों।

अस्पताल भवन

भर्ती दर

100 बिस्तरों का एक ही अस्पताल हो व सुसज्जित अस्पताल में हर तरह के मरीज आते हों।

आकुपेन्सी दर 75 प्रतिशत अवश्य हो।

क्लीनिकल सुविधायें –

कृपया संस्था के अस्पताल के बारे में विस्तार से लिखे यहाँ यह पुनः स्पष्ट करना आवश्यक है कि अस्पताल आवेदक संस्था के नाम से ही होना चाहिए। सामान्यतः अस्पताल में सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए। अस्पताल कम से कम 100 बिस्तरों का होना चाहिए और यह अस्पताल प्रशिक्षण केन्द्र कैम्पस अथवा उनके निकट होना चाहिए। 100 बिस्तरों का अस्पताल एक ही विशेषता का हो सकता है या अनेकों विशेषज्ञताओं का भी हो सकता है। कुछ विषयों में प्रथमदृष्टया विस्तरों की आवश्यकता न हो लेकिन सभो पाठ्यक्रमों में भर्ती मरीज से संबंधित किसी न किसी जाँच, इलाज अथवा अन्य किसी कारण से पाठ्यक्रम को पढ़ाने में सहायता मिलती है। उचित होगा कि विस्तरों का विभाजन इस तरह से हो कि मेडिसिन, सर्जरी, आब्स गाइनी एवं इमरजेन्सी का उचित प्रतिनिधित्व हो। कृपया बिस्तरो का विभाजन स्पष्ट रूप से लिखें।

<u>विभि</u>	न्न क्षेत्रों में बिस्तरों का	विभाजन :
1.	मेडिकल	25
2.	सर्जिकल	25
3.	आब्स गायनी	20
4.	बाल विभाग	10
5.	अस्थि रोग	05
6.	इमरजेन्सी	05
7.	अन्य	10

2- अस्पताल के इन्डोर में भर्ती दर - 75% हो।

3— अन्य क्लीनिकल विभाग :

- आपरेशन थियेरटर मुख्य
- आपरेशन थियेरटर माइनर
- दन्त चिकित्सा इकाई
- नेत्र रोग विभाग
- नाक, कान एवं गला विभाग
- बर्न्स विभाग
- बाल रोग चिकित्सक
- हृदय रोग चिकित्सक

इमरजेन्सी –

आकस्मिक सेवाएं–

1-

- अस्पताल के भवन का नक्शा संलग्न करते हुए विस्तृत रूप से वर्णन करें। अस्पताल का भवन कम से कम 10,000 वर्गफुट का हो।
- 2. अस्पताल के चारों ओर पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाये
- 3. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए।
- 4. जल व्यवस्था ऐसी हो कि 24 घंटे आपूर्ति हो।
- विद्युत की अबाध आपूर्ति का इन्तजाम हो, जेनरेटर अवश्य होना चाहिए।
- समस्त विभाग एक दूसरे से टेलीफोन से जुड़े हों।
- 7. सीवेज कनेक्शन अच्छा हो।
- 8 कैफीटीरिया या कैन्टीन की व्यवस्था पर्याप्त रूप से हो। इसका प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र के छात्र भी कर सकते हैं।
- 9. लाइब्रेरी की व्यवस्था।
- 10. अस्ताल की इमरजेन्सी।
- 11. प्रत्येक विषय से संबंधित क्षेत्रों में।

अस्पताल भवन से सम्बन्धित विवरण –

अस्पताल भवन	
रिसेप्शन	मरीजों व सहायकों के बैठने की उचित सुविधायें।
ओ०पी०डी०	80 मरीज प्रतिदिन / एकल में 30 मरीज प्रतिदिन
अंतः रोगी कक्ष	बेड की संख्या लिखें
बेड आकुपेन्सी∕वर्ष	साल में उपलब्ध शय्याओं (Beds) के सापेक्ष 75% मरीज भर्ती होते हो।
आपरेशन थियेटर	
मेजर	1 उपलब्ध हो। सभी महत्वपूर्ण जनरल सर्जरी के लिये पर्याप्त हो।
माइनर	2
स्टरलाइजेशन कक्ष	1
आकस्मिक चिकित्सा / सुविधायें	सुसज्जित हो, सुलभ हो तथा आसानी से प्राप्त हो।
इमरजेन्सी कक्ष	सुसज्जित हो
एक्स-रे सुविधा	उपलब्ध कराई जा सकती है।
क्लीनिकल लेबोरेटरी	उपलब्ध हो
जनसुविधाएं (शौचालय)	उपलब्ध हो
बिस्तर	उपलब्ध हो
फायर फाइटिंग इक्यूपमेन्ट	उपलब्ध हो
पेयजल	उपलब्ध हो, पेयजल व अन्य कार्य हेतु।
प्रशिक्षण केन्द्र से दूरी	5 कि.मी. से ज्यादा न हो।
बहुविशेषज्ञता का अस्पताल है या एक विशेषज्ञता का	

अस्पताल का स्टाफ

- अस्पताल के प्रबन्धन के लिये प्रबन्धक हों। 1.
- प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ हों। इनके द्वारा प्रशिक्षार्थियों को पढ़ाया भी जा सकता है। 2.
- पैरामेडिकल कर्मी प्रशिक्षित व मान्यता प्राप्त शिक्षा प्राप्त हो। नर्सिंग कार्मिक चतुर्थ श्रेणी, ड्राइवर पर्याप्त संख्या में हों। अस्पताल में एम्बुलेन्स की व्यवस्था हो। 3.
- 4.
- 5.

पंजीकरण :--

इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट–1916 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं इटर्नशिप के बाद प्रशिक्षिणार्थियों को स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत कर पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

एक विषय में प्रशिक्षण केन्द्र :--

यदि किसी के पास एकल विशेषज्ञता का अस्पताल है व उस विशेषता में प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है तो उस विशेषज्ञता में आधुनिकतम सुविधाएं वांछित हैं। कुछ विषयों में विस्तरों (भर्ती कर इलाज) की आवश्यकता आधुनिक परिवेश में नहीं होती किन्तु फिर भी इमरजेन्सी व day care के लिये इंडोर की आवश्यकता होती है।

अनेकों विषयों में प्रशिक्षण केन्द्र :--

100 विस्तरों के विशेषज्ञता के अस्पताल की आवश्यकता है। साथ ही प्रशिक्षण, पठन—पाठन की सुविधाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। लेकिन प्रशिक्षण भवन में प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु 2000 वर्गफूट की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी।

छात्रों की संख्या :--

केन्द्र को 40 छात्र दिये जायेंगे। नर्सिंग / फार्मेसी में 60 तक क्षमता अनुमन्य है।

<u>रु. 100 / − के</u> स्टाम्प पेपर पर नोटोराइज्ड

प्रोफार्मा (अस्पताल से सम्बद्धता हेतु) – अस्पताल के मुख्य कार्यकारी द्वारा संपादित किया जाय।

ţ	मैं (मुख्य कार्यकारी का नाम)	
पता		नाम व पता)
का मुख्य	। कार्यकारी अधिकारी हूँ तथा यह एग्रीमेन्ट करने हेतु अधिकृत हूँ।	
ر	श्री (आवेदक का नाम)	
संस्था क	ग नाम ने	
	में से (कालेज का नाम)	
	ग नाम) में चलाने हेतु उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आवेदन किया है। उनके	
स्वामित्व	का प्रशिक्षण केन्द्र है, किन्तु वर्तमान में क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु अस्पताल न	नहीं है। मेरा
	(अस्पताल)	बेड का है।
	मेरे यहा अन्य कोई प्रशिक्षण नहीं चल रहा है। मैं इन्हें, इनके केन्द्र में पढ़ने वाले ध र रक्वीनिकन प्रशिक्षण प्रदान करने हेन आपने असावाल का प्रयोग करने की अनम	

प्रेक्टिकल / क्लीनिकल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपने अस्पताल का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

(यह एग्रीमेन्ट अगले पांच वर्षों के लिए मान्य होगा। तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार पुनः एग्रीमेन्ट कराया जा सकेगा।)

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यकारी के हस्ताक्षर

नोटोराइज्ड

<u>अति महत्वपूर्णः –</u>

कृपया ध्यान रहे कि सूचनाएं वही भरी जानी चाहिए जो वास्तव में सत्य हैं। निरीक्षण के समय इन्हीं का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

प्रशासनिक विभाग के लिये उपस्कर –

S.No.	Name of the Equipment
1	Computer with Modem with UPS, Printer with Internet Connection
2	Xerox Machine
3	Typewriter
4	Intercom
5	Fax Machine
6	Telephone
7	Public Address System

शिक्षण हेतु उपस्कर—

S.No.	Name of the Equipment
1	Furniture for class room, committee/meeting room
2	O.H.P.
3	Screen
4	White/Colour boards
5	Television colour
6	VCD Player
7	Radio
8	LCD Projectors
10	Computer

सामान्य फर्नीचर –

S.No.	Name of the Equipment
1	Doctor's chair for OP Ward, Blood Bank, Lab etc.
2	Doctor's Table
3	Duty Table for Nurses
4	Table for Sterilisation use (medium)
5	Long Benches(6 1/2' x 1 1/2')
6	Stool Wooden
7	Stools Revolving
8	Steel Cup-board
9	Wooden Cup Board
10	Racks -Steel – Wooden
11	Patients Waiting Chairs (Moulded)
12	Attendants Cots
13	Office Chairs
14	Office Table
15	Footstools
16	Filing Cabinets (for records)
17	M.R.D.Requirements (record room use)
18	Paediatric cots with railings

19	Cradle	
20	Fowler's cot	
20	Ortho Facture Table	
21	Hospital Cots (ISI Model)	
22	Back rest	
23	Dressing Trolley (SS)	
25		
26	Bin racks (wooden or steel)	
27	ICCU Cots	
28	Bed Side Screen (SS-Godrej Model)	
29	Medicine Trolley(SS)	
30	Case Sheet Holders with clip(S.S.)	
31	Bed Side Lockers (SS)	
32	Examination Couch (SS)	
33	Instrument Trolley (SS)	
34	Instrument Trolley Mayos (SS)	
35	Surgical Bin Assorted	
36	Wheel Chair (SS)	
37	Stretcher / Patience Trolley (SS)	
38	Instrument Tray (SS) Assorted	
39	Kidney Tray (SS) – Assorted	
40	Basin Assorted (SS)	
41	Basin Stand Assorted (SS)	
	(2 basin type)	
	(1 basin type)	
42	Delivery Table (SS Full)	
43	Blood Donar Table	
44		
45		
46		
47	Dispensing Table Wooden	
48	Bed Pan (SS)	
49	Urinal Male and Female	
50	Name Board for cubicals	
51	Kitchen Utensils	
52	Containers for kitchen	
53	Plate, Tumblers	
54	Waste Disposal - Bin / drums	
55	Waste Disposal - Trolley (SS)	
56	Linen Almirah	
57	Stores Almirah	
58	Arm Board Adult	
59	Arm Board Child	
60	SS Bucket with Lid	
61	Bucket Plastic	
62	Ambu bags	
63	O ₂ Cylinder with spanner ward type	
64	Diet trolley - stainless steel	
65	Needle cutter and melter	
66	Thermometer clinical	
	Thermometer Rectal	

67	Torch light	
68	Cheatles forceps assorted	
69	Stomach wash equipment	
70	Infra Red lamp	
71	Wax bath	
72	Emergency Resuscitation Kit-Adult	
73	Enema Set	

<u>सामान्य पुस्तकें –</u>

1	Ajmani	Embalming: Principles and Legal Aspects, 1/e	
2	Gandotra	Gross Anatomy workbook, 1/e	
3	Jain	General Anatomy for Students, 2/e	
4	Kapur	Ess. Of Surface & Radiological anatomy, 2/e	
5	Kant	Embryology for Medical Students	
6	Singh	Essentila of Anatomy, (all in four colour) 1/e, 2002	
7	Singh	A TB of Human Osteology, 2/e, 2002	
8	Feneis	Pocket Atlas of Human Anatomy	
9	Panda	Concise Pocket Medical Dictionary, 1/e	
10	Panda	Jaypee's Dental Dictionary,1/e	
11	Panda	Jaypee's Nurses' Dictionary, 1/e	
12	Rikh	Pocket Medical English Hindi Dictionary, 14/e, 1/e Ind.	
13	Dorland	Dorland dictionary, 29/e 2000	
14	Dorland	Dorland's Pocket Medical Dictionary, 26/e, 2001	
15	Bijlani	Understanding Medical Physiology, 3/e, 2002	
16	Ratan	Handbook of Human Physiology, 7/e	
17	Despopoulos	Color Atlas of Physiology, (Sp. Price)	
18	Mahajan	Methods in Biostatistics, 6/e	
19	Prabhakaran	Biostatistics, 1/e,2002	
20	Rao	Biostatistics: The Manual of Statistical Methods for use in Health & Nutrition, 1/e	
21	Singh	Elementary Statistics for Medical Workers, 1/e	
22	Dave	Emergency Medical Services & Disaster Management, 1/e, 2001	
23	Dogra	aids to Clinical Medicine	
24	Garg	Synopsis of AIDS,2/e	
25	Gupta	Manual of Medical Emergencie,2/e	
26	Krishna Das	TB of Medicine ,4/eVol.I,II,2002	
27	Mohaptra	Occupation, Health Hazards and Remedies	
28	Mogli	Medical Records Organization and Management	
29	Prasad	TB of Medicine (Hindi)	
30	Suratt		
31	Nambi		
32	Ray		
33	BhatiaRabies the Killer Disease,1/eChaubeConsumer Protection and The Medical ProfessionFrancisMedical Ethics 1/e		
34			
35			
36	Greenberg	The Birth of a Father 1/eInd.	
37 Gupta Addiction 1/e		Addiction 1/e	

38	Gupta	Manual of First Aid 2/e Hindi
39	Gupta	Manual of First Aid: Manag. of General Injuries, Sports Injuries
		& Common ailments 5/e
40	Gupta	Outline of Sports medicine 2/e
41	Jaiswal	Consumer Protection act and The Medical Practitioners 1/e
42	Meador	A Little Book of Doctors' Rules 1/e 1/e Ind
43	Mogli	Medical Records Organization and Mangement
44	Moss	Health Manual A Self Help Guide 1/e Ind
45	Nayyar	Tell Me About Me : The Living Machine-Basic human Anat. 1/e
46	Panda	Handbook for Medical Representatives 1/e
47	Prakash	Medical Adult
48	Singhals	Medical Ethics
49	Urs	Networking Organisation of Health Science Laboratories
50	Bijlani	Nutrition: A Practical Approach 1/e
51	Chandra	Poshan& Swastha,1/e (Hindi)
52	Ghosh	Nutrition and Child care: A Practical Guide 1/e (Hindi)
53	Gupta	Food & Nutrition: Facts and Figures 5/e
54	Indrani	Ess. of Nutrition and Therapeutic Diet (2 Vols)
55	Mazumdar	Essentials of Human Nutrition
56	Salins	Nutrition Guide 1/e
57	Virk	Lecture notes in Nutrition
58	Boyle	Personal Nutrition 4/e 2001
59	Mahan	Krauses Food, Nutrition and Diet Therapy 10/e
60	Way	Nutrition Secrets 1/e 1/e Ind
61	WHO	Guidelines for training Community Health Workers in Nutri.
62	WHO	Nutrition Learning Packages 1/e Ind
63	Williams	Basic Nutrition and Diet Therapy11/e

पुस्तकें–

S.No.	Name of Books	Author's Name
1.	Human Anatomy	B.C. Chaurasia-Vol.1,Vol.2,Vol.3
2.	Human Physiology	C.C. Chatterjee-Vol.1,Vol.2
3.	Textbook of Medical Physiology	C.Guyton
4.	Manual of Practical Anatomy	Romances G.J. –Vol 1,Vol 2,Vol3
5.	Foundation of Anatomy and Physiology	Kathleen J.W. Wilson
6.	Textbook of medical laboratory	Praful and Godkan
	technology	
7.	A handbook of pathology	V.H. Talib
8.	Clinical Pathology & Bacteriology	Sachdeva
9.	Medical laboratory technology for	M.King
	developing countries	
10.	Handbook of Clinical Pathology	Chatterjee
11.	Clinical Diagnosis and Management	Johan Burnard Henry Todd.
		Sanford
12.	Medical laboratory technology	A.H.Patel
13.	Medical laboratory technology	Ramik Sood

14.	Practical Medical Microbiology	Crunk Shank Vol.1&2
15.	District Laboratory Practice in tropical	Monika Cheesebrough
	countries	

1	Arora	Ess. of Medical Biochemistry	
2	Chatterjee	TB of Medical Biochemistry,5/e,2002	
3	Chatterjee	TB of Biochem, for Dental, Nursing, Pharmacy	
	j	Students,2/e	
4	Chatterjee	Clinical Chemistry,1/e	
5	Chatterjee	Viva in Biochemistry, 1/e	
6	Kulkarni	Biotechnology & its application in Pharmacy, 1/e,2001	
7	Malhotra	Practical Biochemistry for Students, 4/e,2002	
8	Prakash	An Introduction to Medical Biophysics,1/e	
9	Raghu	Practical Biochemistry for Medical Students	
10	Lewandrowski	Clinical Chemistry	
11	Marshall	Clinical Chemistry,4/e	
12	Montegomery	Biochemistry,6/e	
13	Bhatia	Microbiology for Nurses,1/e	
14	Bhatia	Essential of Medical Microbiology ,2/e	
15	Bhatia	Medical Parasitology ,2/e,2002	
16	Chaudhary	A Guide to Pathology,7/e	
17	Dasgupta	TB of Modern Immunology,1/e	
18	Datta	Progress in Pathology (vol.1)	
19	Datta	Progress in Pathology (vol.2)	
20	Gupta	Interpretation of Commom Investigation, 4/e	
21	Gupta	Illustrated Medical Microbiology,1/e	
22	Gupta	Practical Microbiology,2/e	
23	Iyer	Sample Collection in Clinical Microbiology	
24	Jaggi	Microbiology Theory for MLT	
25	Mohan	Pathology Practical Book for Undergraduates, 1/e Reprint 2002	
26	Paniker	TB of Medical Parasitology,5/e,2002	
27	Prakash	an introduction to Medical Biophysics ,1/e	
28	Sachdev	Viva Voce in Pathology, Bacteriology & Haematology, 3/e Ind.	
29	Sood	Colour Atlas of Pathology, 2/e	
30	Sood	Haematology for Students, 4/e	
31	Cotton	The Hospital autopsy, 1/e, 1/e Ind.	
32	Crook	Case Presentations in Chemical Pathology, 1/e, 1/e Ind	
33	Dailey's	Notes on Blood, 3/e, 1/e Ind	
34	Goljan	Pathology Review	
35	Haber	Differential Diag. in Surgical Pathology	
36	Henry	Clinical Diagnosis and Management by Lab. Methods, 21/e	
37	Hoffbrand	Color Atlas of Clinical Laboratory	
38	Mehta	Self-Ass.Colour Review of Clinical Hematology, 1/e	
39	Tkachuk	Atlas of Clinical Hematology	
40	WHO	Management of Blood Transfusion Services	
41	Bansal	Medical Laboratory technology,2/e (Hindi),2002	
42	Gupta	Short TB of Medical Laboratory for Technicians ,1/e	
43	Gupta	The TB of Blood Bank and Transfusion Medicine, 1/e	

44	Iyer	Sample Collection in Clinical Microbiology	
45	Ratnakar	Principles and Practice of Laboratory Medicine,1/e	
46	Sacher	Wildmann's Clin. Interpretation of Laboratory Test, 10/e	
47	Sood	Medical Laboratory Technology (methods &	
		Interpretations)5/e	
48	Dailey's	Notes on Blood,3/e 1e/Ind	
49	Goljan	Most Commons in Pathology and Laboratory Medicine	
50	Harmening	Modern Blood Banking an dTransfusion Practices ,3/e	
		1/e Ind.	
51	Rosse	Concise Guide to Laboratory Diagnostic Testing in	
		Psychiatry	
52	Wedding	Medical Laboratory Procedures ,1/e	
53	WHO	Basic Laboratory Methods in Medical Parasitology,1/e	
54	WHO	Basic Laboratory Procedures in Clinical Bacteriology 1/e	

List of Equipments for Bachelor in Pathology Technician

Biochemistry
Fume cupboards
Boiling Water baths, with lids having holes
Autoclave electric
Balance open pan
Urinometers
Constant temperature water bath
Ryles tube
Incubator electric with thermostat
Hot air oven
Pump vacuum
Calorimeters
Refrigerators
Flame Photometer
Thermometers 0-250C
Thermometer 0-110C
Stop watch
Spirit lamp
Water distillation plant (metallic)
Dessicators large size
Centrifuge clinical for 12 tubes
PH meter
Homogeniser
Microscopes
Ultra Violet (U.V.) lamp
Bottle dispensers
Samplers (autopipettes) different volume
Spectrophotometer
Binocular research microscopes
Pathology
Rotary Microtomes
Freezing microtomes with a stand for carbon dioxide cylinder
Hot plates

Hot air (50 degrees C) for extra staining
Autoclave electric
Distilled water still
Centrifuge machine electric Rotofix
Colorimeter Photoelectric Klett
Water bath electric (Tissue Floatation)
Balance, chemical with weights
Microscopes, monocular, with double nosepiece, High power objective 2 eye-pieces,
mechanical stage and condenser
Oil immersion lens for the above
Polarising attachments for microscopes
Micrometers, ocular
Demonstration eyepieces
Magnifying lens
Blood pressure Instrument
X-Ray viewing box
Ultraviolet lamps
PH meter electrics
Microscope, Binocular, research
2 x2 slide Projector
Overhead projector
Museum jars
Clinical Laboratory
Microscope high power with oil immersion
Bottles Specific gravity 25cc
Micro burretes 5cc
PH meter, with ultra micro blood pH electrodes and Electrical Contrifuge-
One higher power contrifuge for serological works, one for
Haemetological work and one other
Haemacytometers with red and whiter pipettes
Haemoglobinometers, Sahili' type
Sedimentation apparatus – one wester green and one witrobole
Syringes disposable one set from 10cc to 2cc 30 of each
Staining jars for slides
Urinometers
Albuminometers, esbachs & Aufrech' type
Urine glassets (conical)
Water Baths with lids and holes thereon for holding test tubes etc.
Centrifuge tubes graduated
Crucible Gooch with adapter
Graduated cylinders of various capacities ranging from 100cc to 1000cc
Pipettes of various sizes, graduated sets
Reagent bottles
Dropping bottles 4 ounce
Reagents
Balances-(1) Sensitive balance
(2) Chemical balance with weight boxes
Microbiology
Incubators, electrical (large) 37 degree Celcius

Autoclave
Hot air sterilizer
Arnolds sterilizer
Serum inspissators
Lovibond comparators
Flasks flat bottom 50cc
Microscope oil immersion, moveable stage Abbe, condenser etc.
Microscope, dark ground work with arc lamp arrangements etc.
Refrigerators
Micrometers eye piece
Micrometer stage
Centrifuge, electrical high power
Refrigerated centrifuge
Distilled water plant
Distilled water plant all glasses
Oil immersion lens for students microscope
Dropping bottles for stains (Plastic)
Staining troughs
Anaerobic apparatus
Electrophorosis complete set
B.O.D. incubator
Laminar flow table
Ultra violet (U.V.) lamps
Venereal Disease Research Laboratory (V.D.R.L.) shaker
Computer unit
Overhead Projector
Water bath (Serological) 37 degree C
Water bath (Serological) 56 degree C
Deep freeze (-20 degree C)
Elisa reader, Dispenser and washer
Binocular microscope
Facilities for culture
Thermometers (Assorted)
Glassware such as pipettes, burettes, beakers, conical flasks, petridishes of different
sizes, reagent bottles etc.
Material for preparation of media
Stains
pH determination apparatus
Reagent bottles with stopper
2000cc
1000cc
500cc
250cc
100cc
50cc
Test tubes hard glass
150mm x 18mm
100mm x 12mm
75mm x12mm